न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 14/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00037

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

भारतीय स्टेट बैंक
सार्ब. शाखा जयपुर,
राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. मैसर्स किंग.कॉम, प्रो. श्री मयुर जैन पिता प्रवीण कुमार जैन (ऋणी) पता – (1)नगर पालिका के सामने, गॉधी मुर्ती के पास जिला बॉसवाडा (राज0) (2) आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा
2. श्रीमती चन्दा जैन पत्नि प्रवीण जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा
3. श्रीमती रचना जैन पत्नि मयुर जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा
4. श्री शिखर जैन पिता प्रवीण जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 06–11–2020

भारतीय स्टेट बैंक सार्ब. शाखा जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स किंग.कॉम, प्रो. श्री मयुर जैन पिता प्रवीण कुमार जैन (ऋणी) पता – (1)नगर पालिका के सामने, गॉधी मुर्ती के पास जिला बॉसवाडा (राज0) (2) आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा, श्रीमती चन्दा जैन पत्नि प्रवीण जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा, श्रीमती रचना जैन पत्नि मयुर जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा, श्री शिखर जैन पिता प्रवीण जैन (गारन्टर) पता – आदिनाथ नगर बाहुबली कोलोनी, बॉसवाडा के खाते दिनांक 20–06–2018 तक कुल बकाया ऋण राशि 2561081 रू. (पच्चीस लाख इकसठ हजार इक्यासी रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति निम्नानुसार है –

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.11.09 11:29:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1- Shop no. C-02, F.F., Charbhuja Tower, Cheatak Complex, Nathelav Colony, Behind Idgah, Banswara (Rajasthan) admeasuring 15'x30'=450 sq.Ft. in the name of Sh. Shikhar jain s/o Sh. Praveen jain
Bounded by:
On the North : Shop no. D-2 On the South: Road 40 Ft.
On the East : Shop no. C-3 On the West : Shop no. C-1
2- Shop no B-4, G.F., Char minar tower-B Cheatak Complex, Nathelav Colony, Behind Idgah, Banswara (Rajasthan) admeasuring 15'x10'=150 sq.Ft. in the name of Smt.Rachna Devi Jain w/o Sh. Mayur Jain
Bounded by:
On the North : Road 40 Ft. On the South: Nala
On the East : Shop no. B-5 On the West : Shop no. B-3
3- Shop no B-5, G.F., Char minar tower-B Cheatak Complex, Nathelav Colony, Behind Idgah, Banswara (Rajasthan) admeasuring 15'x10'=150 sq.Ft. in the name of Smt. Chanda Jain w/o Sh. Praveen Jain
Bounded by:
On the North : Road 40 Ft. On the South: Nala
On the East : Stairs On the West : Shop no. B-4

तहसील व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारन्टर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 04–08–2018 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। दिनांक 31.08.2016 को अप्रार्थी को रु. 20,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणो की ओर से दिनांक 06.07.2020 को अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण/ अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया न ही अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई न उपस्थित रहे। अतः पत्रावली में दिनांक 17.08.2020 को जवाब बंद किया गया।

न्यायहीत में अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 16.10.2020 को पुनः अप्रार्थीगणो को सूचना पत्र जारी किये गए।

दिनांक 06.11.2020 को उभयपक्षीय अधिवक्ताओं की ओर से बहस सुनी गई। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि जमा कराने हेतु समय चाहा। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस बताया कि पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.11.09 11:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही की गई है। अतः और समय दिया जाना उचित नही है।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक सार्ब जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं भारतीय स्टेट बैंक सार्ब जयपुर को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात भारतीय स्टेट बैंक सार्ब. शाखा जयपुर को दिलाने के लिए बैंक को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.11.09 11:29:02 IST
Reason: SelfAttested

ned with CamScanner